भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1868
दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत नल-जल कनेक्शन

1868. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल-जल कनेक्शन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित देश भर में जेजेएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने परिवार शामिल हैं;
(ग) देश भर में, विशेषकर उक्त राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र में सतत भूजल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) क्या सरकार का सूखाग्रस्त जिलों में दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जेजेएम को अन्य जल-संरक्षण योजनाओं के साथ एकीकृत करने का विचार है; और
(ङ) यदि हां, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख): जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों तक नल जल की पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 12.52 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल

कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 08.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.40%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

वर्ष 2019 में इसकी शुरूआत के बाद से, जेजेएम के तहत नल जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले परिवारों का महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली सहित राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन करना जल जीवन मिशन का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i) जेजेएम के तहत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति योजना को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत खोज समिति की इस आशय के साथ सिफारिश कि पहचाने गए जल स्रोत जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में योजना डिजाइन अवधि के लिए आवश्यक मानदंड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता है, के बाद ही मंजूरी दी जाती है;

ii) पानी की कमी, सूखा-प्रवण और भरोसेमंद भूजल स्रोतों से रहित रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी के थोक हस्तांतरण द्वारा पेयजल स्रोतों की योजना बनाना; और

iii) मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को वित्त आयोग के अनुदान, सांसद और विधायक की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों को सुदृढ़ बनाना।

iv) जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, अपने विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग तथा पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है। इसके अलावा, जेएसए: सीटीआर के तहत एक विशेष पहल जल संचय जनभागीदारी (जेएसजेबी) 6 सितंबर, 2024 को शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सहयोगी समुदाय-संचालित जल संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है और स्थानीय समुदायों, उद्योगों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कम लागत, वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से जल प्रबंधन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

*****

अनुबंध

दिनांक 11.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1868 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(संख्या लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल ग्रामीण परिवार	15.8.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		08.12.2025 तक नल जल आपूर्ति वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या	% में	संख्या	% में
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.62	0.29	46.02	0.62	100.00
2	आंध्र प्रदेश	95.53	30.74	32.18	71.13	74.45
3	अरुणाचल प्रदेश	2.29	0.23	9.97	2.29	100.00
4	असम	72.24	1.11	1.54	58.99	81.65
5	बिहार	167.55	3.16	1.89	160.36	95.71
6	छत्तीसगढ	49.98	3.20	6.40	40.82	81.67
7	**दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव**	**0.85**	**0.00**	**0.00**	**0.85**	**100.00**
8	गोवा	2.64	1.99	75.44	2.64	100.00
9	गुजरात	91.18	65.16	71.46	91.18	100.00
10	हरियाणा	30.41	17.66	58.08	30.41	100.00
11	हिमाचल प्रदेश	17.09	7.63	44.64	17.09	100.00
12	जम्मू एवं कश्मीर	19.26	5.75	29.89	15.64	81.22
13	झारखंड	62.53	3.45	5.52	34.45	55.09
14	कर्नाटक	101.31	24.51	24.20	87.54	86.41
15	केरल	70.77	16.64	23.51	38.76	54.77
16	लद्दाख	0.41	0.01	3.48	0.40	97.60
17	लक्षद्वीप	0.13	0.00	0.00	0.12	91.45
18	**मध्य प्रदेश**	**111.48**	**13.53**	**12.14**	**81.02**	**72.67**
19	**महाराष्ट्र**	**146.78**	**48.44**	**33.00**	**132.40**	**90.20**
20	मणिपुर	4.52	0.26	5.74	3.59	79.60
21	मेघालय	6.51	0.05	0.70	5.42	83.26
22	मिजोरम	1.33	0.09	6.91	1.33	100.00
23	नागालैंड	3.64	0.14	3.82	3.42	93.94
24	ओडिशा	88.65	3.11	3.51	68.38	77.14
25	पुदुचेरी	1.15	0.94	81.33	1.15	100.00
26	पंजाब	34.27	16.79	48.98	34.27	100.00
27	राजस्थान	107.74	11.74	10.90	62.06	57.60
28	सिक्किम	1.33	0.70	52.97	1.22	92.09
29	तमिलनाडु	125.26	21.76	17.37	111.96	89.38
30	तेलंगाना	53.98	15.68	29.05	53.98	100.00
31	त्रिपुरा	7.51	0.25	3.26	6.47	86.23
32	उत्तर प्रदेश	267.21	5.16	1.93	242.75	90.85
33	उत्तराखंड	14.49	1.30	9.00	14.16	97.78
34	पश्चिम बंगाल	175.52	2.15	1.22	99.09	56.45
		1,936.16	**323.63**	**16.71**	**1575.98**	**81.40**

स्रोत: जेजेएम - आईएमआईएस एचएच: परिवार